

कार्यालय जिलाधिकारी

सीतापुर

29/5/08

संख्या-800/36-5-08-7(21)/08टीसी

श्रावण/महत्वपूर्ण

जि.सं.सं.सं.सं.
अधिकारी सीतापुर

AMM

प्रेषक,

कपिल देव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उ.प्र. लखनऊ।

श्रम अनुभाग-5

जिलाधिकारी

सीतापुर

29-5-08

लखनऊ : दिनांक 21 अप्रैल, 2008

विषय- नेशनल ई-गवर्नेन्स प्लान के अन्तर्गत प्रदेश के 6 जनपदों-गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, सुलतानपुर, गोरखपुर, सीतापुर एवं रायबरेली के सेवायोजन कार्यालयों में कामन सर्विस सेन्टर के माध्यम से पंजीयन की व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रक 661/ई-6/ई-डिस्ट्रिक्ट-परि/समोसो/2007, दिनांक

15-4-2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के 6 जनपदों-गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, सुलतानपुर, गोरखपुर, सीतापुर एवं रायबरेली के सेवायोजन कार्यालयों में ई-गवर्नेन्स प्लान के तहत कामन सर्विस सेन्टर के माध्यम से पंजीयन कराये जाने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है। उक्त पंजीयन हेतु निम्नलिखित व्यवस्था निर्धारित की जाती है-

- (1) अम्यर्थी को अपने निकटतम कामन सर्विस सेन्टर में जाकर सेन्टर के आपरेटर को एक निर्धारित प्रारूप पर (जो कि आपरेटर के पास उपलब्ध रहेगा) अथवा मौखिक रूप से सेवायोजन कार्यालय में पंजीयन हेतु अनुरोध करना होगा।
- (2) अम्यर्थी को अपनी पहचान से संबंधित प्रमाण पत्र आपरेटर को प्रस्तुत करना होगा।
- (3) कामन सर्विस सेन्टर के आपरेटर द्वारा सभी आवश्यक विवरण अम्यर्थी से प्राप्त करने के उपरान्त पंजीयन से संबंधित ई-फार्म में भरा जायेगा।
- (4) अम्यर्थी द्वारा दिये गये अभिलेखों को कामन सर्विस सेन्टर के आपरेटर द्वारा स्कैन किया जायेगा।
- (5) कामन सर्विस सेन्टर के आपरेटर द्वारा अम्यर्थी की फोटो भी बेब कैमरा द्वारा लिया जायेगा।
- (6) फार्म में सभी प्रविष्टियों को पूर्ण करने के उपरान्त आपरेटर द्वारा आवेदक को पुष्टि के लिए प्राप्त कराया जायेगा।
- (7) अम्यर्थी द्वारा फार्म में उल्लिखित सभी प्रविष्टियों को चेक कर उसकी पुष्टि की जायेगी।
- (8) फार्म में प्रविष्टियां सही पाये जाने पर आवेदक अपने हस्ताक्षर करेगा या अपने अगूठे का निशान लगायेगा।
- (9) कामन सर्विस सेन्टर द्वारा पंजीयन हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदक द्वारा दी गयी सूचनाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट अप्लीकेशन के माध्यम से कम्प्यूटर द्वारा संबंधित सेवायोजन कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा।
- (10) संबंधित सेवायोजन कार्यालय में उक्त सूचनाएँ एक कम्प्यूटर पर ई-डिस्ट्रिक्ट अप्लीकेशन में प्राप्त की जायेगी।
- (11) सेवायोजन कार्यालय प्राप्त सूचनाओं को प्रिन्टर से प्रिन्ट करके भी अपने कार्यालय में रखेगी।
- (12) इसके उपरान्त सेवायोजन अधिकारी द्वारा आवेदक द्वारा दी गयी सूचनाओं के आधार पर एनओओओ कोड आवंटित किया जायेगा। समस्त प्रविष्टियाँ एक्स-63 में भी अंकित की जायेगी। इस हेतु एक दिन का समय निर्धारित है।

TOP PRIORITY

अति आवश्यक/लोकबाणी

सं. 2687 दिनांक 05/06/2008

- (13)- सभी प्रविष्टियां आदि ठीक पाए जाने पर सेवायोजन अधिकारी अथवा अधिकृत अधिकारी द्वारा पुनः कम्प्यूटर के माध्यम से अस्यर्थों का पंजीयन प्रपत्र जिसे इस व्यवस्था में जाब कार्ड कहा गया है, पर कम्प्यूटर से ही पंजीयन नम्बर तथा एनडीसीओ एवं अपने हस्ताक्षर अंकित कर संबंधित कामन सर्विस सेन्टर को वापस भेज देंगे।

यह भी निर्देशित किया जाता है कि जो बेरोजगार सामान्य व्यवस्था के अन्तर्गत पूर्व की भांति सेवायोजन कार्यालयों में पंजीयन कराना चाहते हैं, वे पूर्ववत् अपना पंजीयन करा सकते हैं।

- 2- कृपया तदनुसार शीघ्र आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

कपिल देव
प्रमुख सचिव

संख्या-800(1)/36-5-2008 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग।
- 2- राज्य समन्वयक सेन्टर फार ई-गवर्नेन्स, यूपी डेस्क को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त पत्र की प्रतिलिपि सभी संबंधित कार्यदायी संस्था/परामर्शदाता एजेन्सी (मेसर्स प्राईस वाटर हाउस कूर्पस/मेससे विप्रो/मेससे श्री आई इम्फोटेक) को अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 3- जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, सुलतानपुर, गोरखपुर, सीतापुर तथा बरेली।
- 4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(Handwritten Signature)

(संतोष कुमार त्रिपाठी)

विशेष सचिव

No- बिबिप/इंडिस्ट्रियल पारि/लौकवाणी/2008 दि० 4-6-08

प्रतिलिपि जिलासेवायोजन अधिकारी सीतापुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(Handwritten Signature)
जिला सेवायोजन अधिकारी
सीतापुर